

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।

पत्रांक:-बेसिक/42748-49

/2018-19

दिनांक-28-01-2019

प्रबंधक,

ओएनजीसी कम्युनिटी स्कूल,

विकासक्षेत्र-लहरपुर, सीतापुर।

आप अपने पत्र दिनांकित शून्य का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमे आपके द्वारा संचालित.....से..... तक के विद्यालय के नवीनीकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। कृपया सूच्य है कि इस कार्यालय के पत्र सं०शि०स०/490-93/2002-03 दिनांक 09.05.2002(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसमें राजाज्ञा सं०:1873/15.06.1990-एस(7)/89 दिनांक 10.09.1998 का उल्लेख किया गया है, के द्वारापत्र में निहित प्राविधानों के अंतर्गत अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को दी गयी अस्थायी मान्यता भी स्थायी प्रकृति की होगी तथा इस निमित्त प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर।

पृ०सं० व दिनांक समांक:-

प्रतिलिपि-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद सीतापुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर

पत्रांक:मान्यता/99717-23/2015-16

दिनांक 31.3.16

प्रबन्धक,

ओ०एन०जी०सी० कम्युनिटी स्कूल

ग्राम पैतला रानी फार्म, लहरपुर, सीतापुर

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्यन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्तवर्ती, पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2015-16 से 03 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम की नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की समूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संयोजन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) तथा नियमावली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथस्थित, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सासाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 की उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी अन्य म फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किय गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निश्चिन्ताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	15621 वर्गमी०
कुल निर्मित क्षेत्र	1302486 वर्गमी०
कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल	उपलब्ध
कक्षाओं की संख्या	14

Principal

ONGC Community School

Vill.-Paintla, Laharpur-Sitapur

प्राध्यापक-सह-कार्यालय सह-मण्डार के लिए कक्षा 01

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शांतिमय उपलब्ध

सुविधा उपलब्ध

मिड-ड-मील पकान के लिए रसायन

ONGC COMMUNITY SCHOOL

Abhishek Singhania
Manager

याधारहित पहुँच

अध्यापक पठनसामग्री/कीडाखेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्तिकिसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड-अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 05 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. सलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भक्तरीय

31.3.16

(सजीव कुमार सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

सीतापुर

पृष्ठांकन/

दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सीतापुर।
3. शिक्षा निदेशक, (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकलांग कल्याण अधिकारी जिला सीतापुर।
7. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी ग्रामीण/नगर, सीतापुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर

Principal
ONGC Community School
VIII.-Paintla, Laharpur

ONGC COMMUNITY SCHOOL

Ashish Singhania
Principal